



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 02.04.2024

विषय:- कुल 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त भूरे राजभर को थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर शराब की भट्टी को नष्ट कराया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बबियांव में स्थित मालती ईंट भट्टा थाना चोलापुर वाराणसी पर दबिश देकर अभियुक्त भूरे राजभर पुत्र स्व० भोला राजभर निवासी ग्राम खरदहाँ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-01.04.2024 को समय करीब 14.30 बजे कुल 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण 02 अदद सफेद धातु का फदेला, 02 अदद खुले मुँह का टीन का कनस्तर पाइप लगा हुआ, 02 अदद शीशा की बोतल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर बनी शराब बनाने की भट्टी को नष्ट कराया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 82/2024 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० - 82/2024 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भूरे राजभर पुत्र स्व० भोला राजभर निवासी ग्राम खरदहाँ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कुल 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण (02 अदद सफेद धातु का फदेला, 02 अदद खुले मुँह का टीन का कनस्तर पाइप लगा हुआ, 02 अदद शीशा की बोतल)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० अभिषेक पाण्डेय थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे०का० लवकुश कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का० अवधेश कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का० विकास कुमार थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।